बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
Bihar State Power (Holding) Company Limited
बिहार सरकार का उपक्रम **(A Govt. of Bihar Undertaking)**
सामान्य प्रशासन विभाग **(Department of General Administration)**
GST No. 10AAFCB2394A2ZD, CIN No. U40102BR012SGC018495

संचालन पदाधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सूचीबद्ध (Empanelment) करने हेतु सूचना

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कपंनी लिमिटेड, पटना एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में विभागीय कार्यवाही के त्वरित निष्पादन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सूचीबद्ध करने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता हैः—

1) अर्हताः—

- बिहार प्रशासिक सेवा में उप सचिव या इसके उच्चतर पदों से सेवा निवृत पदाधिकारी

  अथवा
- बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कपंनी लिमिटेड, पटना एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के सचिवालीय संवर्ग के अवर सचिव एवं उच्चतर पदों से सेवानिृत पदाधिकारी

  अथवा
- बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लमिटेड, पटना एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के विद्युत कार्यपालक अभियंता या इसके उच्चतर पदों से सेवानिवृत पदाधिकारी

2) शर्तेः—

i. सूचीबद्ध सेवा निवृत पदाधिकारियों को कार्य आवंटन की वैद्यता सूचीबद्ध होने की तिथि से तीन वर्षों तक या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक होगी।

ii. संचालन पदाधिकारी का दायित्व निभाने हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त पदाधिकारी की उम्र सूचीबद्ध किये जाने के वर्ष की पहली अप्रैल 2018 को तिरसठ (63) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii. उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ्य होना चाहिए।

iv. उसे वित्तीय अनियमितता/गम्भीर कदाचार के लिए कोई बृहत् दंड नहीं दिया गया हो, वर्त्तमान में उसके विरूद्ध कोई न्यायिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं हो तथा उसकी सत्यनिष्ठा असंदिग्ध होनी चाहिए।

v. संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉचाधीन विभागीय कार्यवाही के दौरान प्राप्त अथवा संकलित सभी कागजात/सूचना/डाटा को विभागीय कार्यवाही के दौरान अथवा जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में प्रकट नहीं किया जायेगा। जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने के समय जॉच से संबंधित सभी अभिलेख/रिपोर्ट को अनुशासनिक प्राधिकार को सौंप दिया जायेगा।

vi. उपर्युक्त पद्धति से नियुक्त संचालन पदाधिकारी को यह शपथ पत्र देना होगा किः—

(क) वह जॉचाधीन विभागीय कार्यवाही में न तो गवाह है न ही परिवादी है, साथ ही वह आरोपित सरकारी सेवक का निकट संबंधी अथवा मित्र भी नहीं है।

(ख) वह जॉचाधीन विभागीय कार्यवाही के दौरान प्राप्त अथवा संकलित, जॉच से संबंधित कागजात/सूचना/डाटा के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं उसका उपयोग मात्र उसे सुपुर्द संबंधित विभागीय कार्यवाही हेतु ही करेगा।

vii. संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन, विभाग/संगठन द्वारा निर्धारित कार्यालय में किया जायेगा, जिसके सुचारू संचालन हेतु अनुसचिवीय सहायता एवं संरचना उपलबध कराने का दायित्व संबंधित कंपनी का होगा।

viii. संचालन पदाधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति के अधिकतम छः माह के भीतर, संबंधित मामले में अपना जॉच प्रतिवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को समर्पित करेगें।

ix. उपर्युक्त पद्धति से सूचीबद्ध किसी सेवानिवृत्त पदाधिकारी को किसी वर्ष विशेष में 12 से अधिक विभागीय कार्यवाहियों में संचालन पदाधिकारी नहीं बनाया जायेगा। किसी भी समय उन्हें एक साथ चार से अधिक विभागीय कार्यवाहियों के संचालन का दायित्व नहीं सौंपा जायेगा।

3) <u>चयन की प्रक्रियाः</u>–

(i) योग्य एवं इच्छुक सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से प्राप्त आवेदन के जॉचोपरान्त, पदसोपानवार, सूची तैयार कर कंपनी द्वारा गठित समिति को प्रस्तुत की जाएगी। सूची निर्माण के क्रम में उपर्युक्त वर्णित योग्यता के आधार पर आवेदन पत्र की छटनी की जायेगी एवं अंतर्वीक्षा के पश्चात् अंतिम सूची तैयार कर समिति द्वारा अनुमोदित किया जाऐगा। संबंधित कंपनी द्वारा सूचीबद्ध ऐसे पदाधिकारियों के लिए विभागीय कार्यवाही के संबंध में आवश्यकतानुसार एक संक्षिप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जाऐगी।

(ii) किसी मामले में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु नाम का चयन तैयार सूची में से, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

4) <u>मानदेव एवं भत्ताः</u>–

संचालन पदाधिकारी को भुगतेय मानदेय एवं अन्य भत्ते निम्नवत होगें:–

मद/विवरण			**प्रति कार्यवाही दर (रूपये में)**	
मद	कोटि	विभागीय कार्यवाही पूरा होने में लगा समय	अवर सचिव अथवा समकक्ष पद से अन्यून स्तर के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी	संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष पद से अन्यून स्तर के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी
मानदेय	I	चार माह के अन्दर	रूपये 36,000/–	रूपये 45,000/–
	II	छः माह के अन्दर	रूपये 30,000/–	रूपये 36,000/–
परिवहन भत्ता	रूपये 15,000/– प्रति कार्यवाही			

संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने एवं उसे अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् ही मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा। अगर किसी न्यायालय द्वारा लगाये गये स्थगनादेश अथवा अन्य आदेश के कारण विभागीय कार्यवाही का संचालन संभव नहीं हो तो संचालन पदाधिकारी को उक्त मामले के कार्य–दायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा एवं मानदेय एवं अन्य भत्तों का भुगतान अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

5) संचालन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह मानदेय आदि प्राप्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे किः–

(क) विभागीय कार्यवाही से संबंधित आदेश फलक (सभी मूल अभिलेख एवं अन्य कागजात सहित), जॉच प्रतिवेदन की तीन हस्ताक्षरित प्रति सहित, सुव्यवस्थित रूप में अनुशासनिक प्राधिकार को समर्पित किया जायेगा।

(ख) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली), 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्र/ मार्गदर्शन में विहित प्रक्रिया/विहित प्रावधानों के आलोक में प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप के प्रत्येक मद की जॉच करते हुए, अपने निष्कर्ष का एवं आरोपित सरकारी सेवक द्वारा जॉच प्रक्रिया में उठाये गये प्रक्रियागत आपत्तियों का वर्त्तमान नियमों एवं दिशा निर्देशों के आलोक में निराकरण करते हुए, का भी उल्लेख जॉच प्रतिवेदन में किया गया है।

6) सूची (पैनल) की वैधता अधिकतम् तीन वर्षो की होगी।

7) मानदेय एवं देय भत्ता का दर अगामी तीन वर्षो तक के लिए प्रभावी होगे।

8) सूचीबद्ध किए जाने के आधार पर नियोजन का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

9) **साक्षात्कार की तिथि** :– कंपनी के अधिकृत बेवसाईट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाऐगा। अभ्यर्थियों के ई–मेल से भी सूचना दी जायेगी।

10) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात समर्पित करना होगाः–

क. असैनिक शल्य चिकित्सक/ बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना एवं इसके अनुषंगी कंपनियो के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

ख. पी0पी0ओ0 की प्रति।

ग. अंतिम वेतन पर्ची।

घ. इस आशय का शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो कि आवेदक के विरूद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही लम्बित नही है ना ही कोई मुकदमा न्यायलय में लम्बित है अथवा कोई गम्भीर आरोप दर्ज नही है।

11) नियोजन सूचना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी के लिए निम्न पदाधिकारी से कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता हैः–

श्री अरविन्द कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– H-III
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, पटना
मोबाईल न0–7763818476

12) इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार **दिनांक 31/05/2018** तक विहित प्रपत्र में आवेदन निम्न पते पर सभी आवश्यक कागजात के साथ समर्पित कर सकते हैः–

श्री सुरेन्द्र शर्मा, अवर सचिव, प्रशाखा–H-III
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, पटना
प्रथम तल, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना–80001

ह0/–
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जॉच/संचालन पदाधिकारी के रूप में सेवा–निवृत्त पदाधिकारियों को सूचीबद्ध (Empanelment) किये जाने हेतु आवेदन पत्र

1– पदाधिकारी का नाम :–______________________________

2– पिता का नामः–______________________________

3– जन्मतिथि :–______________________________

4– दिनांक 01/04/2018 को आयु :–________________________

5– सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :–________________________

6– सेवानिवृत्ति की तिथि :–____________________________

7– सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित विभाग का विवरण :–__________________

8– शैक्षणिक योग्यताः–______________________________

9– क्या वार्धक्य सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा ऐच्छिक सेवानिवृत्त :–____________

10–क्या सेवाकाल में किसी तरह का दंड अधिरोपित किया गया था :–________

11–यदि हॉ, तो उसका विवरणः–____________________________

____

12–क्या पूर्व में जॉच/संचालन पदाधिकारी का दायित्व निर्वह्न किया गया हैः–_____

13–यदि हॉ, तो उसका विवरण ____________________________

____

14–पत्राचार पता–______________________________

____

15–दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या–________________________

16–ईमेलः– ______________________________

स्थान :–
तिथि :– **नाम एवं हस्ताक्षर**

अनुलग्नकः– 1) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 2) पी0पी0ओ0 3) अंतिम वेतन पर्ची 4)शपथ पत्र